भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 667

(जिसका उत्तर मंगलवार, 22 नवंबर, 2016 को दिया गया)

कारपोरेट कंपनियों द्वारा सीएसआर दायित्वों का पालन न किया जाना

667. श्री टी. सुब्बारामी रेड्डी:
श्रीमती अम्बिका सोनी:

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीस प्रतिशत से अधिक कंपनियां अपने सीएसआर दायित्व को पूरा नहीं कर रही हैं और इसके लिए वैध कारण नहीं बता रही हैं, यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(ख) क्या उन कंपनियों को स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस भेजा गया है जिन्होंने सीएसआर नियमों का पालन नहीं किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) सीएसआर कार्यक्रम के खराब निष्पादन को देखते हुए सीएसआर कार्यक्रमों के प्रति कारपोरेट कंपनियों को जागरूक करने के लिए कोई कार्यशाला अथवा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने सहित क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क): वर्ष 2014-15 के लिए 7334 कंपनियों के कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय के मूल्यांकन से पता चलता है कि 4195 कंपनियों ने सीएसआर पर कोई व्यय नहीं किया है। व्यय न करने के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ 'बहुवर्षीय परियोजनाएं', 'उचित कार्यान्वयन एजेंसी न मिल पाना', 'सीएसआर कानून के कार्यान्वयन का पहला वर्ष होना', 'सीएसआर समिति के गठन में विलंब होना' और 'एक सुविचारित सीएसआर नीति तैयार न कर पाना' शामिल हैं।

(ख): कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा 496 कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ण) के साथ पठित धारा 135 का अनुपालन न करने की वजह से कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

(ग): कंपनियों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार सीएसआर का कार्यान्वयन करने में मदद करने की दृष्टि से इस मंत्रालय ने दिनांक 18 जून, 2014 और 12 जनवरी, 2016 को क्रमश: स्पष्टीकरण परिपत्र और एफएक्यू जारी किए हैं।

*****